प्रेस नोट
दिनांक 25.09.2024

जनपदीय साइबर सेल द्वारा साइबर पीड़ितों के रू0 37000/–(सहत्तीस हजार रुपये) कराये गए वापस, पैसे वापस मिलने पर पीड़ितों के चेहरे पर लौटी मुस्कान, पीड़ितों ने गोण्डा पुलिस को किया धन्यवादः–

जनपद गोण्डा में साइबर फ्रॉड अपराध की रोकथाम के संबंध में त्वरित कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत एवं अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के मार्गदर्शन में जनपदीय साइबर सेल टीम द्वारा पीड़ितों की धनराशि को सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित करके धनराशि 37000/– (सहत्तीस हजार रुपये) पीड़ितों के खातों में वापस कराये गये।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

01. आवेदक प्रदीप कुमार मिश्रा निवासी मल्लापुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा, 02. आवेदक उमेश कुमार निवासी लालपुर बंदरही थाना मनकापुर जनपद गोण्डा, 03. अजय कुमार गुप्ता निवासी सुभागपुर थाना नवाबगंज जनपद गोंडा के द्वारा गलत खाते मे ट्रांजेक्शन की शिकायत पुलिस अधीक्षक गोण्डा महोदय के समक्ष की गयी थी। जिस पर महोदय द्वारा तत्काल कार्यवाही करने हेतु साइबर सेल को निर्देशित किया गया था। जनपदीय साइबर सेल द्वारा सम्बंधित बैंक/इंटीमेडरी से संपर्क स्थापित कर तत्काल कार्यवाही करते हुए पीड़ितों के 37,000/– (सहत्तीस हजार रुपये) की धनराशि वापस करायी गयी। पीड़ितों द्वारा अपने रूपये वापस पाकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय व जनपदीय साइबर सेल को धन्यवाद दिया गया।

महोदय द्वारा जनता को जागरूक करते हुए बताया गया कि साइबर ठगों से सावधान रहने की जरुरत है। किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओ0टी0पी0, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें। फ्रॉड ट्रांजेक्सन होने पर तत्काल अपने बैंक एवं थाना पर गठित साइबर सेल को सूचना दें एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 या डायल–112 पर भी शिकायत दर्ज कराएँ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 25.09.2024 थाना को0मनकापुर

जनपद गोण्डा।

थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा अवैध देशी तमंचा के साथ 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 03 अदद अवैध देशी तमंचा मय 04 अदद कारतूस बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान 03 अदद अवैध देशी तमंचा मय कारतूस के साथ 03 अभियुक्तों 01. निर्मल, 02. बलराम व 03. सत्यम को हरसिंहवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से 02 अदद अवैध देशी तमंचा मय 04 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0मनकापुर में मु0अ0स0- 478/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 25.09.2024 को थाना को0मनकापुर के उ0नि0 उमेश सिंह मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि माडल शाप से बन्दरहा जाने वाली क्रासिंग के पार हरसिंहवा जाने वाली मोड़ के पास 03 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिये। तलाशी की गयी तो उनके कब्जे से 03 अदद अवैध तमंचा मय 04 अदद जिन्दा कारतूस बरामद कर अभियुक्तों 01. निर्मल, 02. बलराम व 03. सत्यम को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0मनकापुर में मु0अ0स0- 478/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. निर्मल पुत्र मिहीलाल निवासी ग्राम मऊ थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. बलराम पुत्र स्व0 गया प्रसाद निवासी ग्राम भिटौरा थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. सत्यम पुत्र इन्द्रजीत निवासी ग्राम पूरेडाढू थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 478/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 01 अदद देशी तमंचा मय 02 अदद कारतूस 12 बोर बरामद।
02. 02 अदद देशी तमंचा मय 02 अदद कारतूस 315 बोर बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 उमेश सिंह
02. हे0का0 रवीश कुमार
03. का0 ओमप्रताप यादव
04. का0 दुर्गेश चौधरी

आपराधिक इतिहास अभियुक्त निर्मल पुत्र मिहीलाल

01. मु0अ0स0- 315/2020 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0स0- 484/2023 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0स0- 334/2024 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 25.09.2024, मानिटरिंग सेल

जनपद गोण्डा।

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 20 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 35,000/- अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा दिनाकं 06.02.2018 को थाना कर्नलगंज को सूचना दी कि विपक्षी द्वारा उनकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर उनके साथ जबरदस्ती दुराचार किया है। जिसके सम्बन्ध में थाना कटराबाजार पर मु0अ0सं0- 43/2018, धारा 363, 366, 376 भादवि व धारा ¾ पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक उ0नि0 रामअशीष यादव द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 07.03.2018 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री राजेश नारायण मणि त्रिपाठी द्वारा थाना कटराबाजार पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री अशोक सिंह, कोर्ट मोर्हरिर म0का0 संध्या चौरसिया व थाना कटराबाजार के पैरोकार का0 प्रमोद कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 25.09.2024 को दोषी अभियुक्त – चांद बाबू पुत्र सिराजुल निवासी छोटा चौधरीपुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 35,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता-

01. चांद बाबू पुत्र सिराजुल निवासी छोटा चौधरीपुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 43/2018, धारा 363, 366, 376 भादवि व धारा ¾ पॉक्सो एक्ट, थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।